



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com) Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1( )प्रशा./से.नि.-2022/आकाशि/2021/ 5156

दिनांक : 9/4/2021

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/  
राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान/राज. संगीत संस्थान/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।  
सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,  
(जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर)।

विषय : वर्ष 2022 (02 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों की सूची भेजने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2022 (02 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों की सूचना अलग-अलग (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) निम्न प्रपत्र में भरकर इस कार्यालय को दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक ई-मेल आई.डी. [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com) पर भिजवाते हुए एक प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके महाविद्यालय/कार्यालय में वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों का नाम सूची में अंकित करने से वंचित नहीं रह जावे। नाम एवं जन्म दिनांक का सेवा पुस्तिका से मिलान करते समय विशेष ध्यान रखा जावे कि कोई वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि न रहे। आप द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। सूची भिजवाये जाने के उपरान्त आपके महाविद्यालय में यदि कोई अधिकारी (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारी स्थानान्तरित/पदस्थापित हो जाता है तो उसकी सूचना भी ई-मेल आई.डी. [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com) पर भिजवाते हुए एक प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.स.	सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम (सेवा पुस्तिका अनुसार)	पद	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6

आर.वी.आर.ई.एस. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना देते समय उनके नाम के आगे आर.वी.आर.ई.एस. लिखा जाना सुनिश्चित करे ताकि सेवानिवृत्ति आदेश जारी करते समय आर.वी.आर.ई.एस. लिखा जा सके।

अधिकारी एवं कर्मचारी के सम्बन्ध में कृपया यह प्रमाण-पत्र भी भिजवायें :-

“प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डॉ. .... पिता का नाम ..... पद ..... के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 में कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तावित है। गबन एवं चोरी का मामला विचाराधीन नहीं है और न ही कोई राजकीय राशि बकाया है।”

ज्ञातव्य रहे कि सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को छः माह पूर्व प्रेषित करने होते हैं। अतः समय का विशेष ध्यान रखें।

क. 9.4.2021

(डॉ० के.एल. सिराधना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

दिनांक : 9.4.2021

क्रमांक : एफ.1( )प्रशा./से.नि.-2022/आकाशि/2021/ 5156

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
03. रक्षित पत्रावली।

क. 9.4.2021

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर